

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द  
 पीसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट कैम्प रबीमारवेड़ा  
 127/25

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रत्यारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रबीमारवेड़ा, इंगावास तहसील, राजसमन्द जिला, राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2071/74 में खाता संख्या 42, 43, 348, 347, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम       | खाता संख्या                | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.    | रबीमारवेड़ा | 42, 43, 348, 367, 368, 432 | गिरधारी सिंह                         | भजासिंह  |
| 2.    | इंगावास     | 188, 377                   |                                      |  |

(Signature)  
 पीठाधीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर,  
 जिला-राजसमन्द

कमांक :- 127/25

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)  
 पीठाधीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 उपखण्ड अधिकारी, भोज  
 जिला-राजसमन्द